कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या— प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971 लखनऊः दिनांक 15-9-2020

—कार्यालय ज्ञाप—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अपराह्न, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मार्गों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद—3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार—विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :—

" हिन्दी क्षेत्र में संचालित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020—21 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी0सी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020—21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार—विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020—21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :—

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020—21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी0सी0आई0 / परिषद द्वारा सत्र 2020—21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4044	एसआर्के मिस्रा, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बिसेंडा—बालापुर, पो0—सराय पासू, तहo—इलाहाबाद, प्रयागराज।	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1983, फीसेटर विनियमावली-2016 तथा समय समय पर निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डीफी पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,150.00/— प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0— 45,000.00/—प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0—22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय—समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020—21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली—2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। रीक्ति के रिक्त रह जाने की स्थिति में शासन/प्रवेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय—समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/पीसीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर निर्गत / नियमों / अधिनियमों / शासनादेशों / निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय समय पर नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करते हैं अथवा रद्द होती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को अपेक्षा करने किया जाता है तथा ऊपर मद सं0 के संबंध में यह न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो तत्समय प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली सम्बन्धों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद आयोजित की जाने वाली काउन्सिलिंग में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। (काउन्सिलिंग के माध्यम से अवशेष रहिक्त होने पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, स्टाफ—सदस्य, उपलब्धता, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण—प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त छात्रावास उपलब्ध कराने की दशा हेतिक शौचालय के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक अपेक्षाएं पूर्णतियत करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रवेशित/संचालित पाठ्यक्रम की मान्यता जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि—भवन, फार्मेसियर, उपकरण इत्यादि का कोई संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में उपयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्धता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा0 आर0के0 सिंह)
सचिव

पृ0सं0— प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972—3141 सद् दिनांक 15-09-2020

प्रतिलिपि—प्रधानाचार्य/निदेशक, एसआर्के0 मिस्रा, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बिसेंडा—बालापुर, पो0—सराय पासू, तहo—इलाहाबाद, प्रयागराज।

(डा0 आर0के0 सिंह)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537 लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4844-S.K. MISHRA, COLLEGE OF PHARMACY, VILL- BALPUR, POST- SARAI PALTU, TEH- LALGANJ, AZAMGARH.

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- संस्था को अपने वेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृद्धि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेसिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

- संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक,S.K. MISHRA, COLLEGE OF PHARMACY, VILL- BALPUR, POST- SARAI PALTU, TEH- LALGANJ, AZAMGARH.

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

आवेदन,

प्रवेश, परीक्षा एवं शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्या:- प्रशिक्षण/प्रवेश/आवेदन/2022/7817 दिनांक:- 30/08/2022

:आवेदन सम्बन्ध:

परिषद अधीक्षक उत्तराधीन शिक्षा परिषद, यह विज्ञप्तिपत्रित करता/करते हैं, यह कि वर्ष 2022-23 हेतु निम्नांकित संलग्न संस्थाओं द्वारा निम्न पाठ्यक्रमों को संचालित करने के संबंध में प्रवेश परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज से अनापत्ति/अनुमोदन निम्नांकित प्रकार किये जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को संबंधित संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्तानुसार प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर 2022-23 हेतु संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थ/पुनः से उपस्थित परीक्षार्थियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति, प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध परीक्षा परिणाम आदि पर विचार किया गया कि 2022-23 हेतु संचालित/संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त संदर्भित के क्रम में तथा वर्ष संबंधित के अनुक्रम में प्रवेश परिषद को प्रशिक्षित शिक्षा परिषद, बरेली को संबंधित उपरोक्त वर्ष हेतु अनापत्ति/अनुमोदन निम्नवत् प्रदान किया जाता है।:-

संस्था का पूरा एवं सही नाम : 4844-B.K. MISHRA, COLLEGE OF PHARMACY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा कब 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा कब 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

अनापत्ति हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/एनसीएचएमसीटी/पीसीआई द्वारा निर्गमित की गयी इससे संबंधी अन्य पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश पारिचिकित्सा शिक्षा परिषद् एवं उच्च तथा पारिचिकित्सा शिक्षा परिषद् विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, संशोधन विनियमावली-2010 तथा समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा शुल्क विनियमन अधिनियम द्वारा विनियमित शुल्क तीन वर्षीय द्वितीय पाठ्यक्रमों हेतु रू0 50150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पाठ्यक्रमों पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22000.00/- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गमित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीसर विनियमन अधिनियम द्वारा वर्ष सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की संरचनात्मक मदें मान्य होंगी।
- ✓ संस्था में संचालित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश का ही प्रवेश किया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार विनियमन एवं अध्यध्दान शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ अध्यादेश उत्तर प्रदेश उच्चतर द्वारा निर्गत रिपोर्ट/विनियमों/आदिविधिकारी/अध्यादेशों/गाईडलाईन्स एवं निर्देशन, पारिचिकित्सा शिक्षा, 2000, संशोधन प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा पारिचिकित्सा शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा समय-समय पर निर्गमित, विनियमावली, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य/बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का एआईसीटीई/एनसीएचएमसीटी/पीसीआई के अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संस्थान को समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। पारिचिकित्सा शिक्षा परिषद, उच्चतम प्रवेश परीक्षा परिषद, पारिचिकित्सा शिक्षा निदेशालय एवं पारिचिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के किसी भी दायित्व में नहीं होगा। प्रयागराज द्वारा किसी प्रकार की परिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गमित किया जाता है तथा उत्तर पत्र के उपलब्ध से पर, उपायुक्तालय द्वारा किसी प्रकार की परिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गमित किया जाता है तो संस्थान परिपूर्ति संबंधित संस्था की होगी।

- ✓ अनापत्ति की वर्ष संशोधन प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उपायुक्त द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित पारचिकित्सा परीक्षा होने के पूर्व एआईसीटीई/एनसीएचएमसीटी/पीसीआई के अनुमोदित भवन तथा परिषद आवश्यक को उपलब्ध/प्रस्तुत होना अनिवार्य होगा। यदि उपायुक्त उपरोक्त के आधार पर प्रवेश परीक्षा के आयोजन एवं/अथवा अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत आदेशानुसार आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने रोस्टर/बुक पर अंकित की रजिस्टर सूचनाएं तीनों प्रकार की रोस्टरवार्षिक पूर्ति सूचित, बजाय, बाद-बजाय, उपबजाय, उपर किया/आदि पत्रक सूचना, रजिस्टरवार सूचना आदि का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- ✓ संस्था को विधान-परिधान हेतु अनुमत संस्थान उपलब्ध आवास के साथ उपरोक्त सीमाओं के अध्यधीन ही अध्यधन आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में अध्यधीन अध्यापित पाठ्यक्रमों को चलाने आदि हेतु निर्गमित आवश्यक की संख्या उपलब्ध करते तथा अधिनियम, सूचित संस्था, आवेदित, उपलब्धता सुविधाएं तथा यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन की प्रस्तावित किया जाता है और परिषद को इसकी अनापत्ति होगी है कि संस्था उपलब्ध तथ्य प्रस्तुत किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपरोक्त संस्था की अध्यधान संख्या किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार अध्यधीन विनियमन के पीसर यदि संस्था में सूचित, संस्था, उपायुक्तालय, अध्यधान एवं अन्य आवश्यकता एआईसीटीई/एनसीएचएमसीटी/पीसीआई के अनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की अध्यधान संख्या में की जायेगी।
- ✓ अध्यधान शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दिशा में विनियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(हस्ताक्षरित)

अधिक

दिनांक: 30/08/2022

पृ0सं0- परीक्षण/प्रवेश/आवेदन/2022/7818-8455

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक,B.K. MISHRA, COLLEGE OF PHARMACY

(हस्ताक्षरित)

अधिक